UPM0280053212025

न्यायालय अपर मु ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- सर्वेश कुमार मिश्र (उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा- 2073)

वाद संख्या **4655/2025**

सरकार बनाम मौ**0** शफीक।

अ०सं0-309/2025

धारा–147/159/174 सी रेल अधिनियम।

थाना आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त मौ**0** शफीक न्यायालय के समक्ष उपस्थित। अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत प्रकरण को आगे चलाने में असमर्थ है। प्रार्थी पुनः ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा। प्रार्थी को कम से कम जुर्माने से दंडित कर उसका मुकदमा समाप्त करने कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त का जुर्म इकबाल बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कम से कम जुर्माने से दंडित कर उपरोक्त वाद को समाप्त किए जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मौ**0** शफीक को अपराध संख्या-309/2025 तर्गत धारा 147/159/174 सी रेल अधिनियम के प्रकरण में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली दंड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक 22.05.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

दिनांक 22.05.2026

पत्रावली लंच पश्चात दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। अभियुक्त को दंड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से कथन गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। है। इन अभिकथनों के साथ अभियुक्त को न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 147/159/174 सी **रेल अधिनियम** का अपराध साबित होता है। अतः अभियुक्त को अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए।

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया है। अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत मामले को आगे चलाने में असमर्थ है। अतः प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति, अभियुक्त की सामाजिक व आर्थिक को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 147/159/174 सी रेल अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए निम्नलिखित दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्त मौ**0** शफीक को मुकदमा अपराध संख्या–309/2025 अंतर्गत धारा–147/159/174 सी रेल अधिनियम थाना आर.पी.एफ. पोस्ट रामपुर के प्रकरण में दोषी पाते हुए अभियुक्त को धारा–147 रेल अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय उठने तक की सजा तथा 500/– रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 05 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

वहीं अभियुक्त को धारा 159 रेल अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय उठने तक की सजा तथा 100/– रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 01 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

वहीं अभियुक्त को धारा 174 सी रेल अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1000/–रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त 10 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

पत्रावली को नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जावे।

दिनांक 22.05.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 22.05.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

आशुलिपिक–हरगोविन्द सिंह।